डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ।

पत्रांक– 2907 /डीएसएमएनआरयू/कोरोना वायरस/2019–20 दिनांक– 17 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में कोरोना वायरस के दृष्टिगत सतर्कता के संबंध में।

वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कतिपय सुरक्षात्मक उपाय बनाये गये हैं जिनको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में कृपया निम्न कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करायी जाय :–

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा उपायों की प्रति सभी विभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों को इस अनुरोध के साथ उपलब्ध करा दी जाय वे अपने विभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों के सभी शिक्षकवृन्द/ अधिकारियों/ कर्मचारियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा सभी को इसके बचाव हेतु संवेदनशील भी करें।

2. विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकवृन्द/अधिकारी/कर्मचारी जो भी प्रातःकाल कार्यालय में आयेगें तो वे अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के प्रसाधन कक्षों में बताये गये तरीके से लिक्विड सोप से हाथ धोना सुनिश्चित करेगें। विश्वविद्यालय के नजारत अनुभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विश्वविद्यालय के सभी प्रसाधन कक्षों में प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप उपलब्ध रहे।

3. विश्वविद्यालय के शिक्षकबृन्द/अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोगार्थ विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में सभी प्रसाधन कक्षों को मानक के अनुसार स्वच्छता सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कराये जाने के दृष्टिगत इसे अनिवार्य किये जाने के लिए विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव को नोडल अधिकारी बनाया जाता है तथा वे दैनिक आधार पर छात्रावासों एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों तथा परिसर की साफ–सफाई के बारे में स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करायेगें।

4. विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा जितने भी अन्य आगन्तुक विश्वविद्यालय में आयेगें, उनके विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के प्रवेश द्वारा पर ही लिक्विड सोप से हाथ धुलवाने की व्यवस्था करायी जाय।

5. विश्वविद्यालय के नजारत अनुभाग द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के प्रवेश द्वारों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से उक्त कार्य को सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक स्थलों पर पर्याप्त रूप में लिक्विड शाप और हाथ साफ करने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी।

6. विश्वविद्यालय में ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ हाथ का स्पर्श होता है यथा–कुर्सी, मेज, दरवाजे, की–बोर्ड, माउस, टैलीफोन, हैण्डिल आदि को नियमित रूप से सैनेटाइज कराने की व्यवस्था सेवा प्रदाता एजेन्सी (साफ–सफाई हेतु निर्धारित एजेन्सी) के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके लिए उप कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी होगें।

7. कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के बारे में जो एडवाइजरी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाती है उसके बारे में विश्वविद्यालय के समस्त भवनों में पोस्टर एवं पम्पलेट लगाये जाने की व्यवस्था नजारत अनुभाग के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।

8. विश्वविद्यालय के अन्दर छात्रावास भवनों में विश्वविद्यालय की भोजन व्यवस्था हेतु मैस का संचालन किया जा रहा है, यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था मैस संचालक द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। विश्वविद्यालय के मैस से संबंधित क्षेत्र की साफ–सफाई के बारे में दैनिक आधार पर रिपोर्ट छात्रावास अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned with CamScanner

9. विश्वविद्यालय परिसर में समस्त शिक्षकवृन्द/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रों को परामर्शित किया जाता है कि वे अनावश्यक रूप से समूहों में न एकत्रित हों।

10. विश्वविद्यालय के किसी शिक्षकवृन्द/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रों को यदि कोरोना वायरस से प्रभावित होने का कोई लक्षण प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है तो वे अनिवार्य रूप से अपनी जॉच स्वयं करायें तथा बचाव की कार्यवाही करें।

11. विश्वविद्यालय परिसर के अन्तर्गत स्थापित बैंक एवं अन्य बाह्य संस्थाओं को भी बिन्दु संख्या–01 से 10 तक निर्गत किये गये निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः</u> भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की प्रति।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव।

<u>प्रतिलिपि</u> –

1. मा0 कुलपति महोदय, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त अधिकारी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुलानुशासक, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. समस्त अधिकारी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. चीफ प्रोवेस्ट (पुरूष/महिला) छात्रावास।
8. प्रभारी सिस्टम एनालिस्ट, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव।

Scanned with CamScanner

Advisory on Social Distancing Measure in view of spread of COVID-19 disease

Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention implemented to avoid/decrease contact between those who are infected with a disease causing pathogen and those who are not, so as to stop or slow down the rate and extent of disease transmission in a community. This eventually leads to decrease in spread, morbidity and mortality due to the disease.

In addition to the proposed interventions, the State/UT Governments may prescribe such other measures as they consider necessary.

All these proposed interventions shall be in force till 31st of March, 2020. They will be reviewed as per the evolving situation.

The following interventions are proposed:

1. Closure of all educational establishments (schools, universities etc), gyms, museums, cultural and social centres, swimming pools and theatres. Students should be advised to stay at home. Online education to be promoted.
2. Possibility of postponing exams may be explored. Ongoing exams to be conducted only after ensuring physical distance of one meter amongst students.
3. Encourage private sector organizations/employers to allow employees to work from home wherever feasible.
4. Meetings, as far as feasible, shall be done through video conferences. Minimize or reschedule meetings involving large number of people unless necessary.
5. Restaurants to ensure handwashing protocol and proper cleanliness of frequently touched surfaces. Ensure physical distancing (minimum 1metre) between tables; encourage open air seating where practical with adequate distancing.
6. Keep already planned weddings to a limited gathering, postpone all non-essential social and cultural gatherings.
7. Local authorities to have a dialogue with organizers of sporting events and competitions involving large gatherings and they may be advised to postpone such events.
8. Local authorities to have a dialogue with opinion leaders and religious leaders to regulate mass gatherings and should ensure no overcrowding/at least one metre distance between people.

Scanned with CamScanner

9. Local authorities to have meeting with traders associations and other stakeholders to regulate hours, exhibit Do's and Don'ts and take up a communication drive in market places like sabzi mandi, anaj mandi, bus depots, railway stations, post-offices etc., where essential services are provided.

10. All commercial activities must keep a distance of one meter between customers. Measures to reduce peak hour crowding in markets.

11. Non-essential travel should be avoided. Buses, Trains and aeroplanes to maximize social distancing in public transport besides ensuring regular and proper disinfection of surfaces.

12. Hospitals to follow necessary protocol related with COVID-19 management as prescribed and restrict family/friends/children visiting patients in hospitals.

13. Hygiene and physical distancing has to be maintained. Shaking hands and hugging as a matter of greeting to be avoided.

14. Special protective measures for delivery men/ women working in online ordering services.

15. Keep communities informed consistently and constantly.

Ministry of Health & Family Welfare

Scanned with CamScanner

Issued on 17-03-2020

Government of India Ministry of Health & FW

Additional Travel Advisory for Novel Coronavirus Disease (COVID-19)

In continuation of the travel advisory issued on 11th March, 2020 and 16th March, 2020, the following additional advisory is issued:

(i) Travel of passengers from Afghanistan, Philippines, Malaysia to India is prohibited with immediate effect. No flight shall take off from these countries to India after 1500 hours Indian Standard Time (IST). The airline shall enforce this at the port of initial departure.

(ii) This instruction is a temporary measure and shall be in force till 31st March 2020 and will be reviewed subsequently.

Scanned with CamScanner

Z-21020/14/2020-PH
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 5th March, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Query from states on mass gatherings – reg

Kindly recall queries raised by states on organisations of mass gathering etc. In view of the above, it is highlighted that:

- Experts across the World have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus disease. In view of above, it is advised that mass gatherings may be avoided or possibly be postponed till the disease spread is contained.
- In case any such mass gatherings are organised, States may take necessary action to guide the Organisers on precautions to be taken as per the risk communication material already sent so as to avoid any Severe Acute Respiratory Illness (SARI) cases and Influenza Like Illness (ILIs) including Covid-19.

States may take necessary action accordingly in the matter.

(Rajender Kumar)
Under Secretary for Government of India
Ph. 23061778

To:

Prl Secy/ Secy H of all States / UTs

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

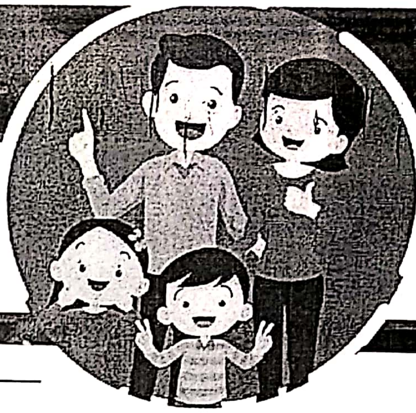

— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित —

क्या आपको COVID-19 की जाँच की आवश्यकता है?

- यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं हैं तो आपको COVID-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है
- यदि आपमें उपरोक्त लक्षण हैं और आपने इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, या संयुक्त अरब अमीरात, आदि किसी भी COVID-19 प्रभावित देश की यात्रा की है या आप प्रयोगशाला से प्रमाणित COVID-19 के किसी रोगी के संपर्क में आये हैं, तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की 24X7 हेल्पलाइन 011-2397 8046 पर सम्पर्क करें
- हेल्पलाइन सेवा आपके संपर्क विवरणों को नोट करेगी और COVID-19 के परीक्षण प्रोटोकॉल के साथ आपसे संपर्क करेगी
- प्रोटोकॉल के अनुसार यदि आपको जांच की आवश्यकता है तो आपकी जांच केवल सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में की जायेगी

- सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची https://www.icmr.nic.in/ पर उपलब्ध है
- वर्तमान में, COVID-19 के परीक्षण के लिए कोई भी निजी अस्पताल/निजी प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं. +91-11-23978046 पर कॉल करें या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in @MoHFWIndia @MoHFW_INDIA mohfwindia

davp 17102/13/0023/1920

Scanned with CamScanner